प्रेषक

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
पशुपालन एवं डेयरी विभाग

प्रेषित

महानिदेशक
पशुपालन एवं डेयरी विभाग,
हरियाणा, पंचकुला

क्रमांक 5097(सी.एफ.एम.एस.)–ए.एच.–4–2022/
चण्डीगढ़, दिनांक

विषयः **वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सामान्य वर्ग के लिए सूकर / भेड़ व बकरी इकाई की स्थापना करके रोजगार के अवसरों के लिए योजना।**

सन्दर्भः पत्र क्रमांक 5348 पी.6 दिनांक 30.08.2022

हरियाणा के राज्यपाल वर्ष 2022–23 के दौरान गैर–आवर्ती आधार पर विषयवर्णित योजना जारी रखने के लिए 25 प्रतिशत तृतीय तिमाही के रूप में कुल राशि 87.50 लाख रूपये (सतासी लाख पचास हजार रूपये) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं:–

(क) योजना विभाग के बजट अनुमान के अन्तर्गत स्वीकृत है।
(ख) योजना के अन्तर्गत के कोई नया पद सृजित नहीं किया जाएगा और किसी भी रिक्त पद पर वित्त विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना नियुक्ति नहीं की जाएगी।
(ग) वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले मितव्ययिता उपायों पर निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

2. यदि किसी चरण में योजना के प्रावधान में संशोधन किया जाता है तो संशोधित स्वीकृति जारी की जाएगी।

3. व्यय को निम्न बजट शीर्ष से नामे किया जाएगा:–

"2403-Animal Husbandry
102-Sheep & Wool Development
(87) Scheme for Employment opportunities to the families by Establishment of Goat and Sheep Units (N) for the year 2022-23."

4. महानिदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, हरियाणा, पंचकुला योजना के लिए नियंत्रण, आहरण एवं संवितरण अधिकारी होंगे। इसके अतिरिक्त उपनिदेशक, सघन पशुधन विकास परियोजना, अम्बाला, करनाल, कुरूक्षेत्र, भिवानी, सिरसा, जींद, गुरूग्राम और उपनिदेशक, पशुपालन एवं डेयरिंग, चरखी दादरी, फतेहाबाद, फरीदाबाद, हिसार, झज्जर, कैथल, नारनौल, पंचकुला, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, यमुनानगर, रोहतक, सोनीपत और नूंह इस योजना के आहरण एवं संवितरण अधिकारी होंगे।

5. वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उनके यू.ओ. क्रमांक 5/6/2005–5 बी. एण्ड सी. दिनांक 18.04.2013 द्वारा स्वीकृति प्रदान की।

–Sd–
(अशोक कुमार)
अवर सचिव
कृतेः आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
पशपालन एवं डेयरी विभाग।

पृ0 क्रमांक 5097(सी.एफ.एम.एस.)–ए.एच.–4–2022/ चण्डीगढ़, दिनांक

इसकी एक विधिवत हस्ताक्षरित प्रति अतिरिक्त प्रतियों सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रधान महालेखाकार (ए. एण्ड ई.), हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. प्रधान महालेखाकार (ऑडिट), हरियाणा, चण्डीगढ़।

-sd-

(अशोक कुमार)
अवर सचिव
कृतेः आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
पशुपालन एवं डेयरी विभाग।

इसकी एक प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग को उनके यू.ओ. नं. 5/6/2005–5–बी. एण्ड सी., दिनांक 18.04.2013 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

अशोक कुमार

(अशोक कुमार)
अवर सचिव
कृतेः आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
पशुपालन एवं डेयरी विभाग।

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग (एफ.डी.–1, शाखा) एवं
कार्यालय प्रभारी, कम्प्यूटर सैल (एफ.डी.)।

अशा0 क्रमांक 5097(सी.एफ.एम.एस.)–ए.एच.–4–2022/909 चण्डीगढ़, दिनांक 18/10/2022

ce